

बिहार सरकार  
बिहार राज्य योजना पर्षद

का0आ0सं0-स्था0/विविध-14-07/2016 पार्ट-1 764 पटना, दिनांक 04/09/2023

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के तहत बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना में आंतरिक समिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मोबाईल संख्या	ई०-मेल
1.	श्रीमती अंजना सिन्हा	सहायक निदेशक (अध्यक्ष)	9110111244	anjanasinha278@gmail.com
2	श्री अवधेश कुमार दास	प्रशाखा पदाधिकारी (सदस्य)	8210297155	awi2das@gmail.com
3	सुश्री रूपा कुमारी	योजना सहायक (सदस्य)	6200992371	rupakumari98350@gmail.com
4	श्रीमती निधि सहाय	अधिवक्ता (वाह्य सदस्य)	8002254202	nidhisajag@gmail.com

2. पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं०-615 दिनांक-18.07.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. आदेश पर सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद का अनुमोदन प्राप्त है।



विशेष सचिव,

बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना

ज्ञापांक- स्था0/विविध-14-07/2016 पार्ट-1 764 पटना, दिनांक 04/09/2023

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक (स्था0), योजना एवं विकास विभाग/श्रीमती अंजना सिन्हा, सहायक निदेशक, (स्थापना)/श्री अवधेश कुमार दास, प्रशाखा पदाधिकारी/सुश्री रूपा कुमारी, योजना सहायक, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव।

ज्ञापांक- स्था0/विविध-14-07/2016 पार्ट-1 764 पटना, दिनांक 04/09/2023

प्रतिलिपि:- सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को सूचनार्थ।



विशेष सचिव।

ज्ञापांक- स्था0/विविध-14-07/2016 पार्ट-1 764 पटना, दिनांक 04/09/2023

प्रतिलिपि:- श्रीमती निधि सहाय, अधिवक्ता, सजग चित्रगुप्त नगर, न्यू कॉलोनी, कंकड़बाग, पो0-कंकड़बाग, पटना पिन-800020 को सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव।